221

नि/निग०/रीवा/2018/1000

न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर रीवा,

संभाग-रीवा (म0प्र0)

1. रामलखन सिंह तनय स्व0 अयोध्या सिंह निवासी ग्राम महिदल तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

2. रामखेलावन सिंह तनय स्व0 अयोध्या सिंह निवासी ग्राम महिदल तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

................निगराकर्तागण

बनाम

1. राधिका प्रसाद तनय स्व0 बंशीलाल दुबे निवासी ग्राम महिदल तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

2. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व0 बंशीलाल दुबे निवासी ग्राम महिदल तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

................गैर निगराकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर रीवा प्र0क0- 14/मूल/अ-74/2016-17 आदेश दिनांक 23/01/2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू रा0सं0 1959

महोदय,

प्रकरण का सूक्ष्म विवरण निम्नलिखित हैः-

यह कि भूमि खसरा कमांक- 402/2 एवं 402/3 स्थित ग्राम भोलगढ़ तह0 हुजूर जिला रीवा है जिसे आवेदक निगराकार द्वारा 1996 में गलाबबती एवं नैनी से कय किया था गुलाबबती एवं नैनी अनावेदकगण की सहभूस्वामी थे जिनका आपसी बटवारा पहले हो चुका था बिक्रेताओं का जहां कब्जा था वहीं का विकय पत्र में चौहद्दी लिखाकर बिकय किया गया और आवेदकगण कब्जा प्राप्त किए और नामान्तरण और कब्जानुसार नक्सा तर्मीम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण [illegible]/निग0/रीवा/भू–रा0/2018/1000 जिला रीवा

रामलखन सिंह/ राधिका प्रसाद दुवे

(1)	(2)
19-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 14/मूल/अ–74/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 23.01.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य